

**विषय-सूची**

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं०
प्राक्कथन		iii
कार्यकारी सारांश		v
<b>अध्याय-1: सामान्य</b>		
परिचय	1.1	1
राज्य आबकारी प्राप्तियों के रुझान	1.2	1
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	1.3	2
लेखापरीक्षा मानदण्ड	1.4	2
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति	1.5	2
अभिस्वीकृति	1.6	3
इस प्रतिवेदन का आच्छादन	1.7	3
<b>अध्याय-2: आबकारी नीति</b>		
परिचय	2.1	5
उत्तर प्रदेश की आबकारी नीतियों का क्रियान्वयन (2001-02 से 2019-20)	2.2	5
<b>अध्याय-3: फुटकर दुकानों का अनुज्ञापन</b>		
विशिष्ट जोन का अनियमित सृजन	3.1	9
विशिष्ट जोन के सृजन के उद्देश्यों को प्राप्त न किया जाना	3.2	10
<b>अध्याय-4: मदिरा का मूल्य निर्धारण</b>		
भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा०नि०वि०म०) एवं बीयर की एक्स-डिस्टिलरी प्राइस (ई०डी०पी०)/ एक्स-ब्रिवरी प्राइस (ई०बी०पी०) का विवेकाधीन निर्धारण	4.1	13
भा०नि०वि०म० की छोटी बोतलों की ई०डी०पी०, थोक एवं फुटकर विक्रेता का मार्जिन एवं अधिकतम थोक बिक्री मूल्य की गलत गणना के कारण अतिरिक्त आबकारी शुल्क की हानि	4.2	31
भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा०नि०वि०म०)/ बीयर के छोटे पैकों के लिए बोतलों/ कैन, लेबल और पीपी (पिल्फर प्रूफ) कैप्स की अधिक अतिरिक्त लागतों को निर्धारित करके आसवनियों/ यवासवनियों को अनुचित लाभ	4.3	36
<b>अध्याय-5: न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम०जी०क्यू०)</b>		
देशी शराब के एम०जी०क्यू० का कम निर्धारण	5.1	41
भा०नि०वि०म० और बीयर के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम०जी०क्यू०) का कोई प्रावधान न होना	5.2	43
निष्कर्ष	5.3	46
<b>शब्द एवं संक्षेपण की शब्दावली</b>		49

